GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 172
TO BE ANSWERED ON 22.12.2022

Proposed amendments to the Environment Protection Act

172. SHRI BINOY VISWAM:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government intends to bring an amendment to the Environment Protection Act, 1986 for decriminalisation of environmental offences after receiving comments for the same;
(b) whether Government has taken cognizance of various civil society organizations and environment groups objecting to the said amendments along with the details of such objections; and
(c) rationale for the proposed amendment in light of the growing criminalisation of environmental offences across the world?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

***

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 172 RAISED BY SHRI BINOY VISWAM REGARDING PROPOSED AMENDMENTS TO THE ENVIRONMENT PROTECTION ACT DUE FOR REPLY ON 22.12.2022.

***

(a) and (b)The Government intends to bring an amendment to the Environment Protection Act, 1986 for decriminalisation of environmental offences. Comments from the general public and State/ Union Territory Governments were sought through Public Notice published on website of Ministry and in 61 newspapers Pan-India. A total of 73 comments/ suggestions were received which were duly examined and incorporated, as deemed fit, in the final bill.

(c) The provisions under EPA, 1986 are proposed to be decriminalized with heavier penalties in order to encourage self-regulation in law abiding citizens and entrepreneurs on the one hand and imposition of heavier penalties coupled with provisions of Indian Penal Code (IPC) 1860 to act as deterrent for violators on the other hand. The proposed amendment is also intended to save law abiding citizens/ entrepreneurs from undue harassment in case of minor non-compliances which would have otherwise resulted in filing of court cases.

****

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *172
22.12.2022 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

***172. श्री बिनोय विस्वम :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरणीय अपराधों पर टिप्पणी प्राप्त करने के बाद इन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन लाने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संशोधनों पर आपत्ति जताने वाले विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और पर्यावरण समूहों का संज्ञान लिया है और ऐसी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व भर में पर्यावरण संबंधी अपराधों को अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाने के बढ़ते मामलों के आलोक में प्रस्तावित संशोधन का औचित्य क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

"पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन" के संबंध में श्री बिनोय विस्वम द्वारा दिनांक 22.12.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 172 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : सरकार पर्यावरण संबंधी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन लाना चाहती है। आम जनता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से मंत्रालय की वेबसाइट पर और अखिल भारतीय स्तर पर 61 समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से टिप्पणियां मांगी गई थीं। 73 टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनकी विधिवत जांच की गई और जैसा उचित समझा गया, अंतिम बिल में शामिल किया गया।

(ग) : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (ईपीए) 1986 में उल्लिखित प्रावधानों को भारी जुर्माने के साथ अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है ताकि एक ओर कानून का पालन करने वाले नागरिकों एवं उद्यमियों को स्व-विनियमन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और दूसरी ओर उल्लंघन करने वालों के लिए निवारक उपाय के रूप में भारी जुर्माना लगाकर और भारतीय दंड संहिता (आरपीसी) 1860 के प्रावधानों को लागू करके कार्रवाई की जा सके। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य छोटे-मोटे गैर-अनुपालन के मामलों में कानून का पालन करने वाले नागरिकों/उद्यमियों को अनुचित परेशानी से बचाना भी है, जिनके लिए अन्यथा न्यायालय में मुकदमा दर्ज करना पड़ता।

****

श्री हरनाथ सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वन विभाग, वन निगम, भारतीय वन संरक्षण आदि के अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वनों के संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए सतत् अध्ययन करने हेतु कोई कार्ययोजना निर्धारित की है? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, सरकार ने वन पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। उस दृष्टिकोण से जिस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। पर्यावरण संबंधी जो हमारा अध्ययन है, विशेषकर वर्ष 1986 में अपराध, सह-अपराधों की श्रेणी से हटाने के लिए, उसको कैसे सरल किया जाए, यह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीति रही है कि हम ऐसे प्रावधान करें, जिससे लोगों को और उद्यमियों को अपना उद्यम करने में सफलता मिले। साथ-साथ इस प्रकार की छोटी सी घटना में उनको दंडित करने के लिए ऐसे अपराध में जेल भेजने का जो प्रावधान है, उसको सरल करने के लिए हम लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर पर्यावरण संबंधी, चाहे जंगल के बारे में हो, अन्य पर्यावरण संकट के बारे में हो, वायु प्रदूषण के बारे में हो या जल प्रदूषण के संबंध में हो, इन सभी पर गहन अध्ययन हुआ है।

SHRI JAWHAR SIRCAR: When you cannot protect the environment and have been..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, ask your question.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, my question is that instead of protecting the Environment Protection Act and other concomitant Acts on the environment, why are you diluting the provisions and decriminalising? Why are you converting a criminal act into a negotiable instrument?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपराध को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमने दंड के प्रावधान को काफी अधिक बढ़ाया है। जहां हर केस में जेल भेजा जाता था, उसमें पहला काम यह किया है कि हमने एक जुलाई को नोटिस दिया था और उसमें हम लोगों ने जनता से सुझाव मांगा था और उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसको रखा गया था। उसके बाद दैनिक समाचार पत्रों में 73 टिप्पणियां और सुझाव आए थे और हम लोगों ने उन सुझावों का पूरी तरह से अध्ययन किया। हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, वह जो 26 धाराएं हैं, उन 26 धाराओं और चार अध्यायों में विभाजित है, उसमें विशेषकर धारा 15 में जो कार्रवाई की जा रही है, उसके अनुसार अपराधी को एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसको पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। हम सब लोगों ने यह निर्णय किया है, यह हमारी सरकार का धर्म है कि एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों को दंडित किया जा सकता है। वर्तमान में अभी यह प्रावधान है। उसमें यदि विफलता होती है, तो उल्लंघन करने पर हम प्रतिदिन पांच हज़ार रुपये तक का

जुर्माना लगाते हैं और यदि दोषसिद्धि की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है - यह वर्तमान परिस्थिति में है। हम लोग इसको चेंज करके और पूरी तरह से स्व नियमन के आधार पर, सेल्फ रेग्युलेशन के आधार पर गंभीर मुजरिमों के लिए, कारावास का प्रावधान है, जिसे समाप्त कर दिया जाएगा, 1986 के एक्ट में। ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस के लिए इसको बदलने का हमारी सरकार का प्रयास चल रहा है।

श्री विजय पाल सिंह तोमर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान पर्यावरण अधिनियम, 1986 के चलते हुए एनसीआर क्षेत्र के जितने स्लॉटर हाउस और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कारण अंडरग्राउंड वॉटर पूरा पॉल्युटेड हो गया, दो लेयर पानी पीने लायक नहीं रहा है। अब आप इसके प्रावधानों में भारी जुर्माने को हटाने का काम कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी से बाहर करने का काम भी कर रहे हैं। आप इकाइयों से कैसे निपटेंगे और क्या आप इसके संबंध में कोई विकल्प देने का काम करेंगे?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : सभापति महोदय, जहां तक जुर्माने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जुर्माना हटाया नहीं जा रहा है। हम तो और अधिक जुर्माना लगा रहे हैं। 1986 का जो प्रस्तावित संशोधन है, उसमें मुख्य रूप से जो दंडात्मक प्रावधान है, उस पर हम अतिरिक्त जुर्माना भी लगा रहे हैं - जुर्माने के अलावा अतिरिक्त जुर्माना लगा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि धारा 15 के तहत सामान्य दंड में जो शामिल किया गया है, उसमें एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया है और इसके साथ-साथ प्रतिदिन पांच हज़ार से बढ़ाकर उसको प्रतिदिन 50 हज़ार कर रहे हैं। जेल का जो कानून है, धारा 15 के तहत, उसको हमने सरल किया है। उसमें दंड के प्रावधान को हमने बढ़ाया है और विशेष आवश्यकता पड़ने पर हम उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 173. Shri Derek O'Brien; not present. Dr. Anbumani Ramadoss.

* 173. *[The questioner was absent.]*